


राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक: ई-33/लेटे/एफ.1570/2019/ दिनांक :

### आदेश

श्री रसिक बिहारी व्यास, लेब टेक्नीशियन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटडा, जवाजा, अजमेर का दिनांक 30.4.2011 से 4.6.2018 तक 2593 दिवस का असाधारण अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

उक्त असाधारण अवकाश अवधि सेवा के किसी भी प्रयाजन के लिये मान्य नहीं होगी।

यह आदेश वित्त विभाग की आईडी संख्या 101900438 दिनांक 20.2.2019 एवं प्रशासनिक विभाग की आईडी संख्या 2079 दिनांक 22.2.2019 के अनुसरण में जारी किये गये हैं।


  
( रकुल शर्मा )  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: ई-33/लेटे/एफ 1570/2019/203

दिनांक 04/04/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जौन अजमेर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी जवाजा, अजमेर।
4. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटडा, जवाजा, अजमेर।
5. श्री रसिक बिहारी व्यास, लेब टेक्नीशियन को क्रम संख्या 3 के।
6. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर